

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जनपद देहरादून।

ईमेल—cfoddn.ukfs@gmail.com

पत्रांक: न-20/असुव्य (06)/24
सेवा में,

दिनांक: फरवरी 07, 2024


प्रधानाचार्य/प्रबन्धक
महर्षि विद्या मन्दिर (MAHARISHI VIDYA MANDIR)
पौधा रोड़, प्रेमनगर
जनपद-देहरादून।

विषय शैक्षणिक भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी पूर्ण संचालन प्रमाण पत्र (Pre-Operational) के सम्बन्ध में।
आपके प्रार्थना पत्र यूआईडी नं०-11936192 दिनांक 29.01.2024 के अन्तर्गत महर्षि विद्या मन्दिर, पौधा रोड़ प्रेमनगर, जनपद देहरादून की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी देहरादून द्वारा किया गया। अग्निशमन अधिकारी देहरादून की निरीक्षण आख्या दिनांक 03.02.2024 के अनुसार स्थापित, अग्निशमन यंत्र कार्यशील दशा में है।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। शैक्षणिक भवन के विस्तार/अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य है, साथ ही अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त संस्थान को प्रत्येक 06 माह में भवन अथवा परिसर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व-घोषणा पत्र/Self Audit Report इस कार्यालय को ऑन लाईन/ऑफ लाईन माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अतः महर्षि विद्या मन्दिर, पौधा रोड़ प्रेमनगर, जनपद देहरादून को शैक्षणिक भवन में अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र 03 वर्ष हेतु दिनांक 07 फरवरी 2024 से 06 फरवरी 2027 तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक होगा:-

1. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैट बैक तथा सीढ़ियों सदैव अवरोध मुक्त रखी जाए। इमरजेन्सी साईन एक्जिट, पावर बैक अप के साथ रहेगी।
2. आपके शैक्षणिक संस्थान के सभी कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों को उपलब्ध अग्निशमन यंत्रों के संचालन तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है। समय-समय पर स्थापित अग्निशमन उपकरणों/यंत्रों का निरीक्षण/परीक्षण करते हुए सदैव कार्यशील रखेंगे, तथा समय-समय पर मॉक ड्रिल करते रहेंगे।
3. सभी अग्निशमन यंत्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/प्रबन्धक की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यंत्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती। अतः स्वामी/प्रबन्धक को अग्नि रोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4. शैक्षणिक भवन के विद्युत यंत्रों की स्थापना, वैंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
5. शैक्षणिक भवन के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से मानचित्र अनुमोदित करवाकर मानको के अनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी।
6. शैक्षणिक भवन में संचालित लैब (कैमैस्ट्री, कम्प्यूटर आदि) में सी0ओ0टू0 फायर एक्सटिंग्यूशर का प्राविधान किया जाना आवश्यक है।
7. विद्युत स्विच बोर्ड/विद्युत पैनल के आस-पास किसी भी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री का भण्डारण नहीं किया जाएगा, भण्डारण किये जाने पर यह स्वामी/प्रबन्धक की लापरवाही मानी जाएगी तथा भविष्य में अग्नि दुर्घटना घटित होने पर बीमा दावे हेतु संस्तुति नहीं की जाएगी।


(वी0 बी0 प्रबन्धक)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
देहरादून।

1	यू0आई0डी0 नम्बर	11936192
2	पूर्व में निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने वाले अधिकारी का नाम	मुख्य अग्निशमन अधिकारी श्री एस0 के0 राणा
3	पूर्व ईकाई/संस्थान/भवन का नाम व पता	MAHARISHI VIDYA MANDIR POUNDHA ROAD DEHRADUN UTTARAKHAND 248001
4	ईकाई/संस्थान/भवन का स्थापना वर्ष	-
5	अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार	Annual Clearance
6	आवेदन की तिथि	29/01/2024
7	निरीक्षण की तिथि	02-02-2024
8	निरीक्षण आख्यो भेजने की तिथि	03-02-2024
9	स्वामी/प्रबन्धक का नाम	Sanjeev Pandey
10	स्वामी/प्रबन्धक का ईमेल आई डी	mvmdehradun@mssmail.org
11	स्वामी/प्रबन्धक का मोबाईल नम्बर	9412940001
12	प्लॉट एरिया वर्ग मीटर	4500 sq metre
13	कवर्ड एरिया वर्ग मीटर में	1685 sp metre
14	भवन की श्रेणी	school
15	भवन का सैट बैक	अग्र-20 पृष्ठ-10 साईड(1) 10 साईड (2) 10
16	ब्लॉको की संख्या	1
17	ईकाई /संस्थान/भवन की ऊंचाई मीटर में	3 METRE
18	ईकाई /संस्थान/भवन में तलों की संख्या	भूतल
19	प्रत्येक तल का कवर्ड एरिया	
20	प्रत्येक तल पर कक्षों की संख्या	22
21	बेसमेन्ट कवर्ड एरिया	-
22	ईकाई /संस्थान/भवन तक पहुंच मार्ग की स्थिति	हो
23	मुख्य मार्ग की चौड़ाई मीटर में	12
24	प्रवेश द्वार की चौड़ाई मीटर में	06
25	आन्तरिक मार्ग की चौड़ाई मीटर में	06
26	मुख्य मार्ग से भवन तक की दूरी मीटर	100 मीटर
27	निकास हेतु जीनो की संख्या	1
28	जीनो की चौड़ाई मीटर	1.5
29	कारीडोर की चौड़ाई मीटर में	-
30	दरवाजो की संख्या	44
31	दरवाजो की चौड़ाई मीटर में	1
32	रैम्प की चौड़ाई मीटर में	-
33	फायर एक्सटिंग्यूशर की संख्या व प्रकार	10 ए0बी0सी0 / सी0ओ0टू0

34	हौजरील की कुल स०	कुल 2
35	डाउनकमर	-
36	राईजिंग मैन	-
37	यार्ड हाईड्रेन्ट	-
38	संवेदनशील भण्डारण स्थलो पर सिंप्रकलर्स सिस्टम,	-
39	मैनवली आपरेटेड फायर अलार्म	मैनवुल
40	ऑटोमैटिक ऑपरेटेड फायर अलार्म	-
41	भूमिगत पानी टैंक की क्षमता लीटर में	50000 लीटर ✓
42	टैरिस टैंक की क्षमता	-
43	मेन फायर पम्प का प्रवाह	450 एल०पी०एम० ✓
44	डीजल पम्प की क्षमता व प्रवाह	-
45	जॉकी पम्प की क्षमता व प्रवाह	-
46	टैरिस फायर पम्प की क्षमता व प्रवाह	-
47	पम्प स्वचालित है या मैनवुल	स्वचलित
48	वाटर टैंक भरने हेतु स्थापित पम्प की कैटेगरी/पम्प की क्षमता व प्रवाह	समर सेबुल
49	बोरिंग की परिधि	-
50	वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था	हॉ
51	ईकाई में उत्पादन	-
52	हैजार्ड की श्रेणी	-
53	यदि संस्थान में ज्वलनशील/खतरनाक रसायनों का भण्डारण किया जाता है तो विवरण व सुरक्षा प्राविधान	-
55	भवन का मानचित्र कम्पाउण्डिंग/ओटीएस में स्वीकृत है या नहीं	कम्पाउण्डिंग

महोदय— वर्तमान समय में संस्थान में स्थापित अग्निशमन उपकरण कार्यशील दशा में है, अतः अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु निरीक्षण आँख्या संस्तुति सहित सादर सेवा में प्रेषित है।


 03/02/24
 अग्निशमन अधिकारी
 वेहरादून